मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 37

20.07.2023 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदम

37. **श्री रामनाथ ठाकुर :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कई शहर असमय बारिश, भयंकर सूखा और अचानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं; और

(ख) सरकार दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में जलसंकट को ध्यान में रखते हुए जलप्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या कदम उठा रही है ताकि देश में भविष्य में जल संकट से बचा जा सके?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): भारत के संदर्भ में, ऐसा कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं है जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त हो सके कि असामयिक वर्षा, गंभीर सूखे की स्थिति और अचानक बाढ़ की स्थिति किस हद तक प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यद्यपि कई अध्ययनों के माध्यम से बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी आपदाओं की निगरानी की जाती है, तथापि विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को इन परिवर्तनों का कारण बताने वाला विज्ञान काफी जटिल है और वर्तमान में एक नवीन रूप से उभरता हुआ विषय है। अब तक अधिकांश अध्ययनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के गणितीय मॉडलिंग पर भरोसा किया गया है, किंतु अभी तक उन्हें अनुभव के आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है।

बाढ़ की घटनाएं विभिन्न कारणों से हो सकती हैं, जिनमें वर्षा के सामान्य पैटर्न से बारंबार विचलन के साथ समय एवं स्थान दोनों दृष्टियों से वर्षा के पैटर्न में व्यापक परिवर्तन, नदियों की अपर्याप्त जल वहन क्षमताएं, नदी के तट का कटाव तथा नदी तल में गाद का जमाव, भू-स्खलन, बाढ़ आशंकित क्षेत्रों में अपर्याप्त प्राकृतिक जल-निकास, बर्फ का पिघलना और हिमनदीय झील का फटना शामिल हैं।

(ख): जल राज्य सूची का विषय होने के कारण, शहरी क्षेत्रों के लिए जल उपलब्ध कराने सहित जल का प्रबंधन करना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है।

जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने तथा जल संकट से निपटने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 से एक राष्ट्रव्यापी अभियान ''जल शक्ति अभियान'' शुरू किया है। मॉनसून-पूर्व और मॉनसून अवधियों के दौरान लोगों की सक्रिय भागीदारी से देश में सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त वर्षा जल संचय संबंधी संरचनाओं के निर्माण के लिए, वर्ष 2021 से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में जल शक्ति अभियान ''वर्षा जल संचित करें'' अभियान शुरू किया गया है जिसका विषय है ''वर्षा जहां भी हो, जब भी हो, वर्षा जल संचित करें''।

राष्ट्रीय जल नीति (2012) में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षा जल संचय और जल संरक्षण का समर्थन किया गया है तथा वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। यह नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, जल निकायों के संरक्षण का भी समर्थन करती है। इन नीति को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इसे अपनाने हेतु अग्रेषित किया गया है।

सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है, जो भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों के लिए सर्वव्यापक नीतिगत कार्यढांचा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के उपशमन, उनके प्रति अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी का सृजन शामिल है। इस योजना में, सौर ऊर्जा, ऊर्जा की बचत में वृद्धि, जल, कृषि, हिमालयी पारि-तंत्र, संधारणीय पर्यावास, स्वास्थ्य, हरित भारत तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार की गई हैं।

*****